प्रेस विज्ञप्ति
07.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने एक विदेशी नागरिक के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में दिनांक 06.06.2024 को दिल्ली, हरियाणा और कानपुर (उ.प्र.) में विभिन्न स्थानों पर प्रफुल गुप्ता और अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने प्रफुल गुप्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने पीड़िता से संपर्क किया और उसे बैंक में रखे निवेश को क्रिप्टो करेंसी खाते में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया और दावा किया कि मौजूदा खाता सुरक्षित नहीं है। कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक अनधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त कर ली और पीड़िता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके उसके नाम से एक क्रिप्टो करेंसी खाता बना लिया। उसे उक्त क्रिप्टोकरेंसी खाते में 400,000 अमरीकी डॉलर स्थानांतरित करने की सलाह दी गई, जिसका उसने पालन किया। हालांकि, जब उसने बाद में अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि उसका पैसा वहां नहीं था। एक बार जब 400,000 अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी की गई राशि पीड़िता के बैंक खाते से क्रिप्टो खाते में स्थानांतरित कर दी गई, तो उसे क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया गया। एफआईआर में प्रफुल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुनाल अलमदी , गौरव पाहवा , ऋषभ दीक्षित और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि पीड़िता के खाते से क्रिप्टोकरेंसी कई परतों के बाद प्रफुल गुप्ता और उनकी मां सरिता गुप्ता को हस्तांतरित की गई थी। इसके बाद, क्रिप्टो करेंसी को बेच दिया गया और पैसे को भारत में नकली/डमी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। क्रिप्टो वॉलेट से पैसे प्राप्त करने के बाद नकली/डमी संस्थाओं ने फर्जी केवाईसी वाले हजारों खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी। जांच से पता चला कि राशि का एक हिस्सा गुड़गांव स्थित एक फिनटेक कंपनी के खाते में स्थानांतरित किया गया था, जो ऐसे अंतिम लाभार्थियों की कोई केवाईसी प्राप्त किए बिना अपराध की आय को बढ़ाने में सहायता कर रही थी।

तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। बैंकों में जमा 7.25 करोड़ रुपये की अपराध आय को फ्रीज कर दिया गया है और 35 लाख रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।